

314)
50A)

संख्या-613 / 111(2) / 17-64(एम0एल0ए0) / 2017टी0सी0।

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत विभिन्न 10 कार्यों के निर्माण कार्य की द्वितीय चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी उपखण्ड में उल्लिखित कुल 10 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 9.995 किमी० एवं लागत ₹ 996.05 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 984.15 लाख (रु० नौ करोड़ चौरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशार्सी अभियन्ता का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

✓

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

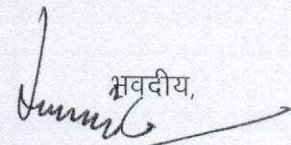
(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

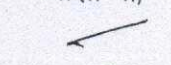
(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-969/XXVII(2)/2021 दिनांक 19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि


भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या- — / III(2)/21-64(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी I तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

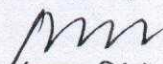
संख्या- 613 / 111(2)/20-64(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.-। दिनांक 19 मार्च, 2021 का संलग्नक।
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत मुकरन्दपुर-पैगा ढकिया गुलाबो मार्ग के चैनेज 16.00 से चैनेज 18.625 तक (कटैया से मढैया) के प्रभाग का पुनःनिर्माण/सुदृढीकरण का कार्य। (द्वितीय चरण)	2.625	426.84	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत काशीपुर ढकिया खरमाशा मार्ग के कि०मी० 6 से गौरी कुन्ज कालोनी में धर्मेन्द्र बिष्ट के घर से जनक सिंह के घर होते हुए लाल सिंह मठपाल के घर तक, आलम सिंह मडवाल के घर से वासुदेव कुकरेती के घर तक, कुमायूँ कालोनी में आनन्द सिंह बिष्ट आदि के घरों तक सी०सी० टाईल्स मार्ग निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	0.650	81.59	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत शिवलालपुर डल्लू में मेन रोड से अमर सिंह के घर होते हुए सोहन सिंह बिष्ट, सोहन सिंह नेगी के घर तक, बद्री विहार कालोनी में जवाहर सिंह भण्डारी के घर होते हुए कटैया जी के घर तक, सत्यपाल रावत के घर से आनन्द फर्शवाण के घर, राकेश मोहन के घर से नवीन कुमार के घर तक पी०सी० एवं सी०सी० टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.500	98.06	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत गौरी कुन्ज फेज-11 में अशोक के घर से कुन्दन सिंह गौसाई के घर तक, शिवालिक कालोनी में शिव मंदिर से राम सिंह कोटवाल के घर तक सी०सी० टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.700	66.51	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत बरखेड़ापाण्डे से खाईखेड़ा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य। (द्वितीय चरण)	1.400	80.68	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत बेरियादौलत रम्पुराकाजी मार्ग से ग्राम ठोटूपुरा व भजुवानगला में महा सिंह, करमजीत सिंह व सविन्दर सिंह आदि के घर तक	0.600	42.03	0.10

	मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)			
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत बेरियादौलत कल्याणपुरी में सी0सी0 मार्ग से जसवन्त सिंह, कनई सिंह, किशन चन्द्र के घर तक तथा बेरियादौलत महोला महोली मार्ग से मुख्तियार के घर होते हुए प्रीतम सिंह आदि के घर तक सी0सी0 टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.520	35.34	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत बेरियादौलत मेन रोड से एस0सी0 बस्ती, अस्पताल के सामने से बुक्सा परिषद होते हुए रेलवे स्टेशन तक व सुक्खा सिंह आदि के घर तक सी0सी0 टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.700	47.38	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत भीमनगर में मुख्य मार्ग से रामानन्द शर्मा के घर से महावीर सिंह नेगी के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.700	42.45	0.10
10	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-बाजपुर के अन्तर्गत कुण्डेश्वरी में जैतपुर धनौरी मार्ग के कि0मी0 5 अख्तर के घर से रतन सिंह, सुरेन्द्र सिंह के घर होते हुए सैन सिंह रौतेला के घर होते हुए मुख्य मार्ग तक सी0सी0 टाईल्स मार्ग निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	0.600	63.27	0.10
	योग:-	9.995	984.15	1.00

(कुल रू0 एक लाख मात्र)

आज्ञा से,


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव



IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -613/III(2)/21-64(MLA)/17TC
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21030220021
आवंटन पत्र दिनांक-19-MAR-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग			
53-वृहद निर्माण					3600000	100000	0		3700000			
योग					3600000	100000	0		3700000			

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,000 (Rupees One Lac Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक-268 /20 याता0'क'/2021

दिनांक-24 .03.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।
- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहनगर ।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर ।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

24/3/21
वरिष्ठ प्रशासक